



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2014/वैशाख 8, 1936

No. 228]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2014/VAISAKHA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 298(अ).—राष्ट्रपति द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नलिखित उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है :—

मैं, प्रणव मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति, ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां धारण करने की उद्घोषणा की थी और यह घोषित किया था कि उस राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.132(अ), तारीख 1 मार्च, 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश की विधान सभा को निलंबित करते हुए उक्त उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध किए थे;

और उक्त उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के कारण दो मास के अवसान अर्थात् तारीख 30 अप्रैल, 2014 को प्रवर्तन में नहीं रहेगी, क्योंकि हो रहे साधारण निर्वाचन की दृष्टि से उद्घोषणा को विचारार्थ रखे जाने के लिए संसद् के दोनों सदनों को आहूत करना कठिन होगा;

और राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के पश्चात् संपूर्ण राज्य दो मास की अवधि के भीतर अधिसूचित निर्वाचनों की शृंखला अर्थात् अधिसूचित साधारण निर्वाचनों के पश्चात् नगरपालिका और मंडल तथा जिला परिषद् निकाय के निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया में लग गया था; और विधान सभा के साथ ही साथ लोक सभा के निर्वाचन दो चरणों में तारीख 30.4.2014 और 7.5.2014 को अधिसूचित हैं;

और निर्वाचनों की शृंखला के दृश्य विधान में तथा राजनीतिक स्थिति के अनुसरण में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जिसके अंतर्गत अकेला सबसे बड़ा दल भी है, स्थिर और व्यवहार्य सरकार बनाने की वस्तुतः कोई स्थिति नहीं रही है; और आंध्र प्रदेश राज्य भी तारीख 2.6.2014 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में पुनर्संगठित होने जा रहा है;

और सरकार बनाने की संभावना को अभिनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया है, किन्तु उन सभी ने यह सूचित किया है कि वे इस अवस्था में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि निर्वाचन कार्यकलाप अपने चरम पर हैं;

और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की ना तो स्थिति में है, ना ही हितबद्ध है और सदन में बहुमत साबित करने के लिए गठित नई सरकार को अनुज्ञात करने के लिए समुचित रूप से पर्याप्त समय भी नहीं है;

और राज्य में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को नए सदन के गठन तक संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता;

अतः, अब, मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

- (क) भारत के राष्ट्रपति के रूप में उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को अपने में धारण करता हूँ;
- (ख) यह घोषणा करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और
- (ग) निम्नलिखित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—
 - (i) यथापूर्वोक्त इस उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर अपने को धारित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक, जितना मैं उचित समझूँ, कृत्य करना विधिपूर्ण होगा;
 - (ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन एतद्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परंतुक का उतना भाग जितना राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान-मंडल के प्रति निर्देश से संबंधित है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितना भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत रिपोर्टों को राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने से संबंधित है;

अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितना राज्य की सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच आबंटित किए जाने से संबंधित है;

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितना किसी राज्य की विधान सभा द्वारा किसी संकल्प को पारित करने से संबंधित है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क);

अनुच्छेद 175 से अनुच्छेद 178 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और खंड (ग) और उस अनुच्छेद का पहला परंतुक;

अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उस अनुच्छेद का परंतुक;

अनुच्छेद 185;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग, जितना विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है;
 अनुच्छेद 188 का उतना भाग, जितना विधान सभा के किसी सदस्य से संबंधित है;
 अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 193 और अनुच्छेद 194;
 अनुच्छेद 195 का उतना भाग, जितना विधान सभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है;
 अनुच्छेद 196 से अनुच्छेद 198 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 199 के खंड (3) और खंड (4);
 अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग, जितना विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है;
 अनुच्छेद 208 से अनुच्छेद 211 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं);
 अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परंतुक और खंड (3) का परंतुक; और
 अनुच्छेद 323 का खंड (2) का उतना भाग जितना राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रिपोर्ट के, ज्ञापन सहित, रखे जाने से संबंधित है;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा को विघटित किया जाता है;

(iv) संविधान में, उक्त राज्य के संबंध में, राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति कोई निर्देश है, और उसमें राज्य के विधान-मंडल या उसके सदनों के प्रति किसी निर्देश का, जहां तक यह उसके कृत्यों और शक्तियों से संबंधित है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संसद् के प्रति कोई निर्देश है, तथा विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपाल और विधान-मंडल या उसके सदनों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति के और संसद् के या उसके सदनों के प्रति निर्देश हैं;

परंतु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा दूसरी अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या राष्ट्रपति को इस खंड के उप-खंड (i) के अधीन उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक, जो वह उचित समझे, कृत्य करने से निवारित नहीं करेगी :

(v) संविधान में उक्त राज्य के विधान-मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें इस उद्घोषणा के आधार पर उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद् द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए अधिनियमों या बनाई गई विधियों के प्रति निर्देश सम्मिलित है, और आंध्र प्रदेश जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1891 (1891 का आंध्र प्रदेश अधिनियम सं. 1) तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उतने भाग का, जितना राज्य विधियों को लागू होता है, किसी ऐसे अधिनियम या विधि के संबंध में वही प्रभाव होगा, मानो वह उक्त राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

28 अप्रैल, 2014

प्रणव मुखर्जी,
 राष्ट्रपति।

[फा. सं. वी-11013/1/2014-सीएसआर.]

अनिल गोस्वामी, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2014

G.S.R. 298(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Pranab Mukherjee, President of India, on the basis of the report received from the Governor of the State of Andhra Pradesh in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as “the Constitution”) made a Proclamation assuming to myself all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State; and declaring the powers of the Legislature of that State shall be exercisable by or under the authority of Parliament and made certain incidental and consequential provisions for giving effect to the objects of the said Proclamation, by keeping the Legislative Assembly of Andhra Pradesh under suspended animation *vide* notification number G.S.R. 132(E), dated the 1st March, 2014;

And whereas, the aforesaid Proclamation shall cease to operate on the expiration of two months, i.e., on the 30th day of April, 2014 by virtue of clause (3) of article 356 of the Constitution as the summoning of both the Houses of Parliament for laying the Proclamation for its consideration would be difficult in view of the ongoing General Elections;

And whereas, subsequent to the imposition of President’s Rule, the entire State had gone into a poll mode with a series of elections scheduled within a span of two months, i.e., elections to Urban Municipalities and those of Mandal and Zilla Parishad Bodies preceding the scheduled General Elections; and the elections for both State Legislative Assembly as well as Lok Sabha are scheduled on 30-4-2014 and 7-5-2014 in two phases;

And whereas, the scenario of a series of elections and the pursuit of political space virtually leaves no room for any political party including the single largest party to form a stable and viable Government; and the State of Andhra Pradesh is also going to be re-organised as Telangana and Andhra Pradesh w.e.f. 2-6-2014;

And whereas, various political parties in the State have been approached with a view to ascertain the possibility of formation of a Government, but all of them conveyed that they are not in a position to form a Government at this juncture when electioneering is in full swing;

And whereas, none of the political parties is either in a position or interested to form the Government, and the time available is also not adequate enough to allow the newly formed Government to prove its majority on the Floor of the House;

And whereas, in view of the prevailing political situation in the State which requires re-imposition of President’s Rule under article 356(1) of the Constitution as a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution till the new House is constituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf I, Pranab Mukherjee, President of India, hereby proclaim that I,—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying, before the Legislature of the State, of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180, 181, and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

so much of article 188 as relates to a Member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive), clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or

the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (v) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Andhra Pradesh General Clauses Act, 1891 (Andhra Pradesh Act No. 1 of 1891), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi,

28th April, 2014

PRANAB MUKHERJEE,

President

[F. No. V-11013/1/2014-CSR. I]

ANIL GOSWAMI, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 299(अ).—भारत के राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

मेरे द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 28 अप्रैल, 2014 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुसरण में, मैं यह निदेश देता हूँ कि आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जो उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा धारण की गई हैं, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,

28 अप्रैल, 2014

प्रणब मुखर्जी,

राष्ट्रपति।

[फा. सं. वी-11013/1/2014-सीएसआर. I]

अनिल गोस्वामी, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th April, 2014

G.S.R. 299(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 28th day of April, 2014, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Andhra Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,
28th April, 2014

PRANAB MUKHERJEE,
President

[F. No. V-11013/1/2014-CSR. I]
ANIL GOSWAMI, Home Secy.